

क्रमांक :- अज/आर.टी.आई.-2024/

दिनांक : 26.02.2024

श्री एस. के. पाण्डा,

संयुक्त महाप्रबन्धक/प्रशा0 (जू.सू.अ.)


डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली।

विषय :-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई. संख्या-137) के संबंध में।

प्रसंग :-कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त ई-मेल दिनांक 06.02.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक ई-मेल के संबंध में प्रार्थी श्री ए मोहन बाबू निवासी-टी 10, आरथी नेस्ट अपार्टमेन्ट, डबल रोड बीईएमएल 5 वां चरण, राजराजेश्वरी नगर बैंगलोर, पिन नं0 - 560098 राज्य कर्नाटक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार चाही गई सूचना का संबंधित विभाग से प्रत्युत्तर प्राप्त कर अवगत कराया किया कि तीसरे पक्ष से संबंधित वांछित जानकारी और तीसरे पक्ष से संबंधित आरटीआई के पैरा संख्या 8(डी) के तहत आने वाली जानकारी/सूचना को प्रकटीकरण से छूट दी गई है/सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी।

उक्त प्रकरण का महाप्रबन्धक/समन्वय, अजमेर का अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त है।



(बृज राज)

महाप्रबन्धक/विद्युत/मा0स0  
डीएफसीसीआईएल, अजमेर